प्रेस नोट
दिनांक 02.10.2024

हर्षोल्लास से मनायी गयी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी की जयंती, राष्ट्र की एकता व अखण्डता की दिलाई गई शपथ–

गोण्डा। आज दिनांक 02 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर, स्वच्छता व सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गयी तथा उनके विचारों का अनुकरण करने व उनके आदर्शो पर चलने के बारे में बताया गया। महोदय द्वारा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि गांधी जी कैसे देश के राष्ट्रपिता बन गए और हर भारतीय क्यों उन्हें बापू कहने लगे। तत्पश्चात महोदय द्वारा 14 सफाई मित्र को पुरस्कृत किया गया तथा आसपास के वतावरण को शुद्ध रखने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन में वृक्षारोपड़ कर किया गया। इसी तरह अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोंडा श्री मनोज कुमार रावत ने पुलिस कार्यालय में व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियो/थाना प्रभारियों ने अपने–अपने कार्यालयों/थानों पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर, स्वच्छता व सत्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गयी तथा उनके विचारों का अनुकरण करने व उनके आदर्शो पर चलने के बारे में बताया गया।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.10.2024

जनपदीय साइबर सेल द्वारा साइबर फ्रॉड पीड़ितों के रू0 50000.00/–(पचॉस हजार रुपये) कराये गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितो द्वारा फ्रॉड ट्रांजेक्सन की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 50000.00/–(पचॉस हजार रुपये) पीड़ितो के खाते में वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक बंजरंगी यादव पुत्र रामराज यादव निवासी पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा एवं आवेदक हनुमंत लाल प्रजापति पुत्र श्री राम छवि निवासी चौरी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के द्वारा फ्रॉड ट्रांजेक्शन की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जनपदीय साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर दोनो पीड़ितों के क्रमशः 25000, 25000 रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व जनपदीय साइबर सेल को धन्यवाद दिया गया।

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल–112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 02.10.2024</u>

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–748/24, धारा 64,333,115(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अंजुम पुत्र मंजूर अहमद नि0 ग्राम शेखन गांव गंगापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को ग्राम शेखनगंज गंगापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.10.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके साथ विपक्षी अंजुम पुत्र मंजूर अली द्वारा उसके घर में घुसकर दुराचार किया गया है तथा गाली–गुप्ता देते हुए जानमाल की धमकी दी गयी है। पीड़िता की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना अ0प्र0नि0 अरविन्द यादव द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 02.10.2024 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अंजुम पुत्र मंजूर अहमद को ग्राम शेखनगंज गंगापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंजुम पुत्र मंजूर अहमद नि0 ग्राम शेखन गांव गंगापुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–748/24, धारा 64,333,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अ0प्र0नि0 अरविन्द यादव थाना को0 नगर।
02. उ0नि0 साहेब कुमार।
03. हे0का0 महताब खां।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 02.10.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–371/24, धारा 137(2),87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप भारती पुत्र जगदेव कोरी नि0 ग्राम बक्सरा सोनबरसा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को ग्राम बक्सरा सोनबरसा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.09.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की को विपक्षी प्रदीप भारती द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 02.10.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त प्रदीप भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. प्रदीप भारती पुत्र जगदेव कोरी नि0 ग्राम बक्सरा सोनबरसा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–371/24, धारा 137(2),87 बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
02. हे0का0 मुन्ना यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।